

प्रेस नोट
थाना सीपरी बाजार जनपद झाँसी

दिनांक – 11.07.2026

- झाँसी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्यवाही,
- थाना सीपरी बाजार पुलिस द्वारा नाबालिग पीड़िता का यौन उत्पीड़न करने वाले अभियुक्त गिरफ्तार
- गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ व पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के मार्गदर्शन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 11.07.2026 को थाना सीपरी बाजार पुलिस द्वारा थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 317/26 धारा 65(2) बी0एन0एस0 व 5/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त मोनू सिकरवार पुत्र परमार सिंह निवासी सिरसी निहाल देवी जिला गुना म0प्र0 हाल निवासी मोहन यादव के मकान में, किराये से पाल कालोनी थाना सीपरी बाजार झाँसी उम्र करीब 25 को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 10.07.2026 को वादी की तहरीर कि अभियुक्त द्वारा उसकी नाबालिग पुत्री के साथ गलत काम करने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 317/26 धारा 65(2) बी0एन0एस0 व 5/6 पाक्सो एक्ट बनाम मोनू सिकरवार पुत्र परमार सिंह निवासी सिरसी निहाल देवी जिला गुना म0प्र0 हाल निवासी मोहन यादव के मकान में, किराये से पाल कालोनी थाना सीपरी बाजार झाँसी के पंजीकृत किया गया है। अभियोग में नामित अभियुक्त मोनू सिकरवार उपरोक्त को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय से समक्ष प्रस्तुत किया गया।

अभियुक्त का विवरण - मोनू सिकरवार पुत्र परमार सिंह निवासी सिरसी निहाल देवी जिला गुना म0प्र0 हाल निवासी मोहन यादव के मकान में, किराये से पाल कालोनी थाना सीपरी बाजार झाँसी उम्र करीब 25 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. प्र0नि0 श्री जय प्रकाश चौबे, थाना सीपरी बाजार
2. रि0का0 संदीप कुमार, थाना सीपरी बाजार